बिहार सरकार
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज के अन्तर्गत गैर–शैक्षणिक पदों यथा– पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रिक्ति के विरूद्ध राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन समर्पित करने की तिथि–16.12.2025 एवं अंतिम तिथि–30.12.2025

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्त्तमान में 02 जिलों यथा **दरभंगा एवं किशनगंज** में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित है।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज के अन्तर्गत गैर–शैक्षणिक पद–पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध निम्नांकित रिक्ति के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–273, दिनांक–18.02.2021 में निहित शर्तों एवं राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र०	पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण कोटि
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	02	UR-1,EBC-1 (पु०–02, म०–00)
2	विद्यालय सहायक	04	UR-2,EBC-1,SC-1 (पु०–03, म०–01)
3	विद्यालय परिचारी	02	UR-1,SC-1 (पु०–02, म०–00
कुल		**08**	

3. आवेदक का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्त्ते रहेगीः–

"चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्ष को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, वही देय होगा, जो पूरे सेवा काल में स्थिर रहेगा।

5. संविदा पर नियोजित विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी अथवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के

पत्रांक–273, दिनांक–18.02.2021 के अनुरूप नियत वेतन क्रमशः 16500.00 रूपये प्रति माह एवं 15200.00 रूपये प्रति माह में से जो राशि कम होगी, वही देय होगा।

6. विद्यालय सहायक के पद के लिए निम्नवर्गीय लिपिक से सेवानिवृत कर्मी, जो नियत मामले 16,500/– रूपये प्रति माह पर कार्य करने के इच्छुक हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

7. नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी को पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार मानदेय निर्धारित किया जायेगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मी को विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रूप में संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने की स्थिति में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–273, दिनांक–18.02.2021 के अनुरूप नियत वेतन क्रमशः 16500.00 रूपये प्रति माह एवं 15200.00 रूपये प्रति माह में से जो राशि कम होगी, देय होगा।

9. आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र/इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है (प्रपत्र संलग्न)।

10. आवेदक को आरक्षण दावा से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. आवेदक को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा (प्रपत्र संलग्न)।

12. आवेदक, आवेदन विहित प्रपत्र में तिथि–16.12.2025 से 30.12.2025 तक हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय–800015 में जमा किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

14. 01 (एक) पद के लिए केवल एक ही आवेदन अनुमान्य होगा।

15. नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/निदेशालय/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

16. भविष्य में नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा/देयता राज्य के किसी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए भी सेवा ली जा सकेगी।

17. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

विशेष सचिव–सह–निदेशक

आवेदन–प्रपत्र

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा एवं किशनगंज के अन्तर्गत गैर–शैक्षणिक पदों यथा– पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के रिक्ति के विरूद्ध सेवानिवृत राज्य कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकल आवेदन–पत्र

---

1. आवेदित पद का नामः– (i) पुस्तकालयाध्यक्ष ☐ (ii) विद्यालय सहायक ☐ (iii) विद्यालय परिचारी ☐ } तीनों में से कोई एक
2. आवेदक/आवेदिका का नामः–
3. पिता/पति का नामः–
4. जन्म तिथिः–
5. सेवानिवृत्ति तिथिः–
6. आधार कार्ड संख्याः ☐
7. पैन कार्ड नं०ः– ☐
8. लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐ थर्ड जेंडर ☐
9. आरक्षण कोटिः– अनारक्षित ☐ अनु० जाति ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐

पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो

10. स्थायी पताः– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.. पोस्टः–..., थानाः–.. ...., जिलाः–..., पिन कोडः–......................
11. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.. पोस्टः–.., थानाः–.. ....जिलाः–......................................, पिन कोडः–......................................, मो० नं०ः–........................ ....
12. शैक्षणिक योग्यताः– मैट्रिक ☐ इन्टर ☐ स्नातक ☐ Blis/Mlis ☐
    अन्य अगर हो तो ☐
13. विद्यालय/कार्यालय का नाम (राज्य सरकार के विद्यालय) का पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है, पद एवं विद्यालय/कार्यालय का नाम–.. ...., विद्यालय/कार्यालय का पताः–.. ....,
14. कोषागार/बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हे/पी०पी०ओ०न० (महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी०पी०ओ० प्रमाण पत्र संलग्न):–.. ....
15. आरोप/दंड की स्थिति (हाँ/नहीं):–..

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज–आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पी0पी0ओ0 (OPS/NPS) संबंधित दस्तावेज, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत), स्वच्छता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।

उद्घोषणा

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 एवं शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–273, दिनांक–18.02.2021 की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

दिनांकः– आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

ज्ञापांक................../   दिनांक............................./

<u>प्रमाण–पत्र</u>

श्री .... पिता श्री..

ग्राम/मोहल्ला ....पोस्ट.......................................

थाना .... जिला...................................... का स्वास्थ्य जाँच आज दिनांक– .... को की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है।

पहचान चिन्ह ....

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

फोटो

असैनिक शल्य चिकित्सक
–सह–
मुख्य चिकित्सापदाधिकारी

कार्यालय ....

स्वच्छता प्रमाण–पत्र

1. नाम ....

2. पदनाम ....

3. पदस्थापन का स्थान ....

4. जन्म तिथि ....

5. सेवानिवृति की तिथि ....

6. पदस्थापन अवधि ....

7. विद्यालय / कार्यालय ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त शिक्षक / कर्मचारी सेवानिवृति के पश्चात इनके ऊपर आलोच्च अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप / बकाया / विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

प्रधानाध्यापक / प्रभारी
विद्यालय / कार्यालय